(1)

FORM No. III

फर्द अहकाम (नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

वाद सं. 318 /2025 दायरा दिनांक : 25.09.2025

प्रकरण अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उनवान

अर्जुन पाटीदार s/o बालकिशन जाति कुल्मी नि० दरोलिया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा जिला झालावाड राज0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
25/09/2025	न्यायालय हाजा मे वादी द्वारा उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही अशुद्धि/त्रुटी को दुरूस्त करने बाबत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट में पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेरोकार सरकार (तहसीलदार) को प्रकरण जांच हेतु भेजा जावे। बाद जांच रिपोर्ट प्राप्ति पत्रावली दिनांक 29/9/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
29/9/25	पत्रावली पेश हुई। निर्धारित प्रारूप में प्रतिवादी/पेरोकार सरकार तहसीलदार से प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 06/10/25 को पेश को हो। (हस्ताक्षर)	
06/10/25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम दरोलिया की जमाबंदी सं. व तहसीलदार द्वारा पेश जांच रिपोर्ट अनुसार वादी के राजस्व रिकार्ड में भू. प्रबंध विभाग/राजस्व विभाग द्वारा दर्ज अशुद्धि/त्रुटी को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर पृथक से आदेश जारी हो। संबंधित तहसीलदार को पालना हेतु आदेश की प्रति भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नतीजा दर्ज रजिस्टर होकर दाखिल रिकार्ड में खारजा लगाया जावे। (हस्ताक्षर) (दिनेश कुमार मीना) सहायक लैण्ड रिकार्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, पिड़ावा उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)	2074-77

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:43:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner